न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:– 2022/229 दर्ज तिथि:–06.07.2022

1. मांगीदेवी पत्नी प्रभात जाति मीना बालिग निवासी खेडा मुण्डियावास तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0
2. लीला देवी पत्नी रामफूल जाति मीना बालिग निवासी खेडा मुण्डियावास तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

...............प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर राज0

.... अप्रार्थी

उपस्थित
प्रार्थी अधिवक्ता:–श्री कौशल भारद्वाज।
अप्रार्थी:– पैरोकार सरकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–128
राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956

–:निर्णय:–

निर्णय तिथि:–15.05.2023

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्त[illegible]रा–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। [illegible] संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन [illegible] कि प्रार्थी की हाल खाता संख्या 264 हाल आराजी खसरा नम्बर 891 रकबा 0.[illegible] है0 वाके ग्राम भांग[illegible] तहसील थानागाजी जिला अलवर में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की सालिम आराजी है एवं आराजी पर प्रार्थीगण काबिज रहकर बिना किसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 18:40:09 IST
Reason: SelfAttested

बाधा व रूकावट के काश्त करता चला आ रहा है। उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थी का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थी एवं समीपवर्ती काश्तकार प्रार्थी की आराजी के कार्यकाश्त में बाधा डालते हैं। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थी द्वारा सीमांकन कराए जाने बाबत तहसीलदार थानागाजी के यहां प्रार्थना–पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार थानागाजी द्वारा दिनांक 15.06.2022 को मौके पर उपस्थित होकर उक्त आराजी का सीमांकन कराकर निशानदेही कराई गई। परन्तु अप्रार्थीगण पैमाईश को नहीं मान रहे है तथा प्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी में मिलाना चाहते है। अब प्रार्थी मुताबिक पैमाइश रिपोर्ट दिनांक 15.06.2022 के आधार पर आराजी की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। अंत में प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढ़ी मुताबिक पैमाइश के अनुसार कराए जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार थानागाजी को पत्र क्रमांक कोर्ट/2023/1103 दिनांक 19.01.2023 द्वारा बिन्दुवार विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट निर्धारित चैकलिस्ट में तैयार करने हेतु लिखा गया। पटवार हल्का भांगडोली ने मौके पर जाकर निर्धारित चैकलिस्ट में बिन्दुवार विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 08.03.2023 को तैयार भिजवायी।

3. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाइश दिनांक 15.06.2022 के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है ।

4. मैंने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

> ***111. Decision of disputes as to boundaries.****—(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*
>
> *(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 18:40:09 IST
Reason: SelfAttested

> *been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.*

5. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***128. Boundary disputes.*** *- All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*
>
> ***Provided that*** *applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

6. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2073–76 वाके ग्राम भांगडोली में राजस्व इन्द्राज, तहसीलदार थानागाजी द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट एवं पटवारी द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट में बिन्दुवार विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 08.03.2023 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड वाके ग्राम भांगडोली के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थीगण की सालिम खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश दिनांक 15.06.2022 से भी यह तथ्य प्रार्थी साबित है कि प्रार्थी द्वारा तहसीलदार थानागाजी के माध्यम से हल्का पटवारी से उक्त वर्णित आराजी की पैमाइश करवाई जा चुकी है। सीमाज्ञान रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर आराजी खसरा नम्बर 865 गै[illegible] व 841 गै0मु0 चाह व 897 गै0मु0 चाह को मुश्तकिल बिन्दू मानकर राजस्व नक्शे में दूरी के मुताबिक जरीब चलाकर खसरा नम्बर 891 का दक्षिण–पश्चिम कोना कायम किया। खसरा नम्बर 891 के चारो ओर राजस्व नक्शे में दूरी के मुताबिक जरीब चलाकर चारों कोनों की निशानदेही की गई। मौके पर उपस्थित लोगों के समक्ष सीमाज्ञान किया जाकर प्रार्थी को संतुष्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 18:40:09 IST
Reason: SelfAttested

किया गया है। तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 08.03.2023 के अनुसार उक्त वर्णित आराजी पर प्रार्थीगण का पूर्ण कब्जा है। इस प्रकार प्रार्थीगण की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा–128 भू–राजस्व अधिनियम–1956 के बाबत् पत्थरगढ़ी किये जाने का स्वीकार किया जाता है। हाल खाता संख्या 264 हाल आराजी खसरा नम्बर 891 रकबा 0.63 है0 वाके ग्राम भांगडोली तहसील थानागाजी जिला अलवर पर प्रार्थी एवं संबंधित पक्षकारों/हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश तहसीलदार थानागाजी को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि प्रार्थी की उक्त खातेदारी से लगती हुई आराजी के पड़ोसी खातेदारों को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए विधिक उपबंधानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार थानागाजी को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 15.05.2023 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 18:40:09 IST
Reason: SelfAttested